मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

डाक्टर्स डे पर पाखंडी नौटंकी 3
रेल : अब सरकार नहीं ठेकेदार देंगे नौकरी 4
छल : एक देश एक टैक्स 5
आर्टिकल 15 : संवेदनात्मक फिल्म 6
पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कुढ़ेगा इंडिया 8

वर्ष 32 अंक -34 फ़रीदाबाद 7-13 जुलाई 2019 फोन -8851091460 ₹ 2.50

छपरोला हत्याकांड:10 कोर्ट से निर्दोष घोषित तीन पुलिस ने छोड़ दिये,10 लाख का लेन-देन

बल्लबगढ (म.मो.) सन 2012 में छपरोला का सरपंच बिजेन्द्र जो उस वक्त चावला कॉलोनी के एक नर्सिंग होम में दाखिल था, की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस पर थाना शहर बल्लबगढ में आईपीसी की धारा 302 व 34 के तहत 13 नामजद लोग़ों के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 387 दर्ज हुआ था। भ्रष्टाचार के बल पर आपराधिक न्याय व्यवस्था की खामियों का लाभ उठाते हुए 10 आरोपी तो अदालत से बरी हो गये और अब शेष 3 को खुद पुलिस ने निर्दोष होने का प्रमाणपत्र दे दिया।

उक्त तीन आरोपी-राज सिंह उर्फ़ राजू, उसका भाई राजाराम, छपरोला निवासी तथा बल्लबगढ की कृष्णा कॉलोनी निवासी सोमेश कभी पुलिस के हाथ नहीं आये तो पीओ यानी भगोड़े घोषित कर दिये गये। एक बार सूचना मिलने पर थाना शहर बल्लबगढ़ के तत्कालीन एसएचओ सुदीप कुमार इन्हें पकड़ने थाना पाटोदी के इलाके में गये। पुलिस द्वारा घेर लिये जाने पर इन्होंने पुलिस पर फ़ायरिंग कर दी। एक गोली एसएचओ सुदीप की ऊंगली में लगी थी। इसका मुकदमा थाना पाटोदी में दर्ज करा दिया गया था। इसी दौरान इन लोग़ों ने थाना सदर पलवल के इलाके में भी गंभीर वारदात की तो वहां भी मुकदमा दर्ज हुआ था। कुल मिला कर ये तीनों ठीक-ठाक स्तर के अपराधी बन चुके थे।

जानकारों के मुताबिक कानून के शिकंजे से बच निकलने के लिये इन्होंने डीसीपी बल्लबगढ राजेश से मिल कर योजना बनाई। इसके अनुसार इन्होंने, कानून पर भरोसा खो चुके एवं हताश शिकायतकर्ता एवं पीड़ित पक्ष से जैसे-तैसे अपने निर्दोष होने का शपथपत्र लेकर एक दरखास्त डीसीपी बल्लबगढ राजेश को दी लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर कोई फ़ैसला लेने की अपेक्षा वह दरखास्त सीपी (पुलिस आयुक्त) संजय कुमार के पास भिजवाई। उन्होंने मामले की जांच एसीपी बल्लबगढ को सौंप दी। एसीपी ने अपनी रिपोर्ट में उन तीनों को निर्दोष लिख दिया जिसके आधार पर मौजूदा एसएचओ राजीव कुमार ने भी उन्हें निर्दोष लिख कर मुक्त कर दिया।

इतना ही नहीं अपने इस षडयंत्र को कानूनी दृष्टि से मजबूत एवं अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिये सरकारी वकील से भी अपनी इच्छानुसार राय लिखवा ली थी। समझा जाता है कि जिला न्यायवादी डाक्टर सोहनलाल की सलाह से सीपी कार्यालय में नवनियुक्त एडीए बाली ने यह राय प्रदान की है।

19 जून को योजनानुसार उक्त तीनों हत्या आरोपी थाना शहर बल्लबगढ़ में शामिल तफ़तीश होकर निर्दोष होने का प्रमाणपत्र लेने आये तो एसएचओ ने उन्हें प्रमाणपत्र देने के साथ-साथ पीओ होने की धारा 174 आईपीसी की लगाकर मुकदमा नम्बर 334 दर्ज करके तीनों को गिरफ़्तार कर लिया लेकिन यह कार्यवाही डीसीपी द्वारा तैयार स्क्रिप्ट से बाहर थी; इसलिये इस पर डीसीपी काफ़ी झुंझलाये। डीसीपी के दबाव में इन तीनों को उसी शाम न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार की कोठी पर पेश कर दिया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यानी कि डीसीपी नहीं चाहते थे कि ये आरोपी एक रात भी थाने में रहते।

एसएचओ राजीव ने डीसीपी के आदेश की दूसरी उल्लंघना करते हुए थाना पाटोदी व थाना सदर पलवल को भी इनकी गिरफ़तारी की सूचना दे दी। परिणामस्वरूप सदर पलवल की पुलिस इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर अपनी हिरासत में ले गयी और यही काम पाटोदी पुलिस के लिये भी जरूरी है। लेकिन डीसीपी से तय हुए सौद में ये सब लफ़ड़े नहीं होने थे। उन्हें तो एफआईआर-387 में निर्दोष सिद्ध हो कर उछलते कूदते अपने घर पहुंचना था। लेकिन यहां तो तीन मुकदमें और गले पड़ गये।

यहां एसएचओ राजीव की मजबूरी यह थी कि एफआईआर नम्बर 387 की जिमनियों में पाटौदी वाली तथा थाना सदर वाली वारदातों का जिक्र आया हुआ था। यह भेद जब कभी भी खुलता तो राजीव को ही भुगतना पड़ता क्योंकि डीसीपी का तो कोई लिखित आदेश था नहीं और जबानी आदेश से मुकरने में ऐसे अफ़सर एक मिनट भी नहीं लगाते। यही स्थिति एफ़आईआर-334 की थी। जो आरोपी पीओ घोषित हो चुका हो और वह थाने में आकर शामिल तफ़तीश होकर चला जाये तो एसएचओ राजीव के पास अपनी खाल बचाने का कोई रास्ता नहीं था, डीसीपी की नाराजगी तो झेली जा सकती है परन्तु कानून की नाराजगी झेलनी भारी पड़ सकती थी। थाना शहर के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इन्हीं बातों को लेकर डीसीपी व एसएचओ के बीच अच्छी-खासी तनातनी भी हुई जिसके चलते एसएचओ को उस रकम में से कोई हिस्सा भी नहीं मिल पाया जो उक्त तीनों को निर्दोष घोषित करने पर मिलना था।

यद्यपि रिश्वत के लेन-देन की न तो कोई रसीद होती है और न ही लेन-देन वाले इसका खुले आम खुलासा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के लेन-देन छिपते भी नहीं हैं। यदि भीतरी जानकारी रखने वालों की बात मानें तो यह सारा सौदा 10 लाख का था। इसका बंटवारा नीचे से ऊपर तक तमाम अधिकारियों में हो चुका है, केवल एसएचओ का हिस्सा रह गया क्योंकि उन्होंने डीसीपी को नाराज कर लिया।

गौरतलब बात यह है कि जब उक्त तीनों की दरखास्त सीपी के सामने पहुंची तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता था कि वे मामले की पूरी तह तक जाते? क्या सीपी को यह नहीं पता कि शिकायतकर्ता के बयान पर किसी हत्यारोपी को निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता? कानून का मानना है कि हत्यारोपी शिकायतकर्ता को डरा-धमका कर या लालच देकर अपने हक में बयान करा सकता है और वही सब इस मामले में हुआ है। दरअसल पता तो सीपी को भी सब कुछ है परन्तु नोटों की चमक ही कुछ ऐसी होती है जिससे अच्छे-अच्छे चुंधिया जाते हैं, फ़िर ये तो ठहरे संजय कुमार।

केशव भाटी की दलाली

पुलिस की दलाली के लिये चर्चित केशव भाटी के बारे में जब तत्कालीन सीपी अमिताब ढिल्लों को पता चला तो उन्होंने तमाम थाने, चौकियों व एसीपी, डीसीपी को सर्कुलर भेजा था कि जिस किसी के भी दफ़्तर में यह दलाल बैठा पाया गया, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसी सर्कुलर को मौजूदा सीपी संजय कुमार ने भी जारी किया। परन्तु इसके बावजूद इस दलाल को अक्सर डीसीपी राजेश के दफ़्तर में देखा जाता है। जानकारों का मानना है कि हत्यारोपी राजसिंह आदि को निर्दोष साबित कराने का सौदा भी इसी दलाल के माध्यम से तय हुआ था।

मातहतों की एसीआर लिखने के भी पैसे मांगते हैं

अधीनस्थ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनके काम काज की गुणवत्ता का उल्लेख किया जाता है जिसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उनकी पदोन्नति पर पड़ता है। पिछले दिनों डीसीपी राजेश ने एक चौकी इन्चार्ज उप निरीक्षक से अच्छी रिपोर्ट देने के बदले 500000 रुपये की मांग की थी; उसके इन्कार करने पर डीसीपी ने उसकी रिपोर्ट खराब कर दी। लेकिन उस निरीक्षक ने हिम्मत नहीं हारी। जब उसकी यह रिपोर्ट तत्कालीन सीपी ढिल्लों, जो रिपोर्ट मिलने के समय तक हिसार तैनात हो चुके थे, के पास पहुंची तो उप निरीक्षक उनके सामने पेश हो गये और सारी कथा सुना दी। ढिल्लों ने भी बुरी रिपोर्ट दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया तो उन्होंने रिपोर्ट तो ठीक कर दी लेकिन रिपोर्ट की कीमत लगाने वाले भ्रष्ट डीसीपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाये। शायद ऐसा करना सम्भव नहीं रहा हो।

जब अधीनस्थ कर्मचारियों की वर्ष भर की सेवाओं कार मूल्यांकन ही रिश्वत पर आधारित होगा तो वे कैसी सेवा कर पायेंगे, समझना कठिन नहीं है। जनता के प्रति पुलिस सेवाओं के गिरते स्तर का यह भी एक बड़ा करण है।

पुलिस कमिश्नर
संजय कुमार

डीसीपी बल्लभगढ़
राजेश कुमार

समझने वाली बात यह हैं कि जब डीसीपी व सीपी जैसे उच्चाधिकारियों का यह हाल हो, जो हत्या के मुल्जिमों को बेच कर खा सकते हों तो फ़िर छोटे कर्मचारियों से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? ऐसे में छोटे कर्मचारी भी अपनी डयूटी पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा हर वक्त छोटे-मोटे शिकार की तलाश में रहते हैं। रात की गश्त हो या नाकेबंदी, उनका ध्यान भी अपराधी पकड़ने की बजाय दिहाड़ी बनाने पर ही रहता है।

राजेश को डीसीपी क्राइम का चार्ज भी

बल्लबगढ जोन के साथ-साथ राजेश को क्राइम ब्रांच का चार्ज भी करीब एक माह पूर्व मिल गया था, यानी लूट कमाई डबल करने का जुगाड़ बन गया। वैसे डीसीपी क्राइम लगाने के लिये अफ़सरों की कोई कमी नहीं, परन्तु जब किसी चहेते की कमाई बढानी हो तो डबल चार्ज भी दे दिया जाता है। समझा जाता है कि यह मेहरबानी राज्य के सीआईडी प्रमुख के इशारे पर की गई है। क्राइम ब्रांच का असल काम अति गंभीर अपराध गुत्थियों को सुलझाना होता है। परन्तु ये लोग भी शराब तस्करों व जुए-सट्टे वालों के चक्कर काटते देखे जाते हैं।

बीपीटीपी क्षेत्र की क्राइम ब्रांच टीम ने 22 जून को बल्लभगढ़ सब्ज़ी मंडी से मंडी के प्रधान सत्ते, नत्थी व तीन अन्य को उठा लिया और ढाई लाख वसूल कर छोड़ा। हुआ यूं था कि नत्थी व तीन अन्य नत्थी की दुकान के ऊपर बने कमरे में करीब आठ बजे बैठ कर बात-चीत कर रहे थे कि क्राइम ब्रांच ने इनको जुआ खेलने के आरोप में दबोच लिया जबकि न तो इनके पास ताश थी न कोई जुआ खेलने का कोई अन्य साधन। दबोचे जाने पर इन लोग़ों ने मंडी के प्रधान सत्ते को बुलाया तो पुलिस ने उन्हें भी दबोच लिया। पांचो को अपनी चौकी में ले गये। डरा-धमका कर 90 हज़ार सत्ते से व दो लाख साठ हज़ार बाकी चारों से वसूल कर छोड़ दिये।

अव्वल तो क्राइम ब्रांच इस तरह के मामलों में अपना समय बर्बाद करने को बनी ही नहीं। दूसरे यदि वे जुआ खेल भी रहे थे तो सम्बन्धित थाने में मुकदमा दर्ज कराना चाहिये था। परन्तु यह सब करें तो फ़िर चंद घंटों में ढाई लाख की कमाई कैसे हो पाती? जानकार बताते हैं कि इस ब्रांच के इन्स्पेक्टर कमलजीत अम्बाला ज़िले से ताल्लुक रखते हैं और डीसीपी राजेश भी वहीं से हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में नाकारा विपक्ष देने जा रहा है भाजपा को वॉकओवर

सबसे बड़ी गलती कांग्रेस कर रही है, चौटाला परिवार भी छिप गया है कहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं लेकिन कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और इनैलो ने भाजपा को वॉकओवर देने का लगता है फैसला कर लिया है। किसी भी विपक्षी पार्टी ने अभी तक चुनावी तैयारी शुरू नहीं की है।

लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद विपक्षी दलों के नेता-कार्यकर्ता घरों में बैठ गए हैं और तथाकथित आलाकमान कोमा में पड़ा हुआ है। विपक्षी दलों में सबसे प्रमुख कांग्रेस की अंदरुनी लड़ाई ने भी भाजपा के लिए वॉकओवर की स्थिति पैदा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने अब 8 जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें बाकी गुटों के नेताओं को नाम के लिए न्यौता भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि अगर वे नहीं आ सकते हैं तो अपना नुमाइंदा भेज सकते हैं। इस तरह के न्यौते पर कोई आने से रहा और अशोक तंवर इस बैठक में मनमाने ढंग से फैसले ले लेंगे। कांग्रेस में कोई अब पूछने वाला नहीं है कि जब सभी राज्यों में इस्तीफे हो रहे हैं तो अशोक तंवर अपनी कुर्सी से क्यों चिपका हुआ है और बिना नेतृत्व की बात तय हुए, खुद सारे फैसले कैसे ले रहा है।

शेष पेज दो पर